तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/3/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 03/4/25 को पेश हो रीडर	
03/4/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 01/5/25 को पेश हो रीडर	
01/5/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 28/5/25 को पेश हो रीडर	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी उप.। वादी को न्यायालय समय मे एक-एक कर तीन बार आवाज लगायी गयी लेकिन कोई उपस्थित नही हुआ। न्यायालय का समय समाप्त है। अतः वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली खारिज शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवम्

उपखण्ड अधिकारी लोहावट।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— /2021

प्रार्थीः— मूलसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासी करनगर नगर, निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. जसवन्तसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति राजपूत निवासी निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
2. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (दो सौ बारह) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मान्यवरजी,

प्रार्थी की ओर से निवेदन निम्न प्रकार हैः—

1. यह है कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में बहुत ही मजबूत आधारों पर प्रस्तुत कर रखा है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की प्रबल सम्भावना है।
2. यह हैं कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 188 (एक सौ इठयासी) रकबा 3.0999 (तीन दशमलव शून्य नौ नौ नौ) हैक्टेयर मौजा ग्राम करनगर नगर, पटवार हल्का निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर सरहद में आई हुई है। जो आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जायेगी जिसकी चालू जमाबन्दी की प्रतियां संलग्न है।
3. यह है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिस पर प्रार्थी व उसके परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के टांका, बाड़ा इत्यादि बने हुए है। प्रार्थी की

मूलसिंह

उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्वी दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 188/2 (एक सौ इठयासी बट्टा दो) रकबा 2.1044 (दो दशमलव एक शून्य चार चार) हैक्टेयर भूमि आई हुई है।

4. यह है कि प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि के पूर्वी सीमा पर अप्रार्थी हर वक्त दखलंदाजी करता रहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को मना किया परन्तु अप्रार्थी नहीं मान रहा है तथा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि में दिन प्रतिदिन दखलंदाजी करता रहता है तथा प्रार्थी को अपनी भूमि में विकास कार्य करवाने, बाधा उत्पन्न करता रहता है तथा तरह–तरह की दखलंदाजी करता रहता है इसी आशय से पूर्व में मेरी भूमि की सीमा पर रोपे गये पत्थरों को तोड़ दिये जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना मतोड़ा में दर्ज करवाई गई जो प्रकरण संख्या 268/2020 (दो सौ अड़सठ बट्टा दो हजार बीस) है जो पुलिस थाना में विचाराधीन है। प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के मध्य में स्थित सीमा को अप्रार्थी खुर्द बुर्द कर प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करने हेतु उतारू रहता है जबकि अप्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

5. यह है कि हाल ही में दिनांक 28.07.2021 (अटाईस जुलाई दो हजार इक्कीस) को अप्रार्थी अन्य लोगों साथ टेक्टर लेकर प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि में आये तथा जबरदस्ती प्रार्थी की भूमि में काश्त कर प्रार्थी के खुंटे नीचे गिराने शुरू कर दिये तब प्रार्थी ने इन लोगों को ऐसा करने से मना किया परन्तु अप्रार्थी नहीं माना तथा जबरदस्ती खुंटे गिरा दिये तथा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को मौके से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी। प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मतोड़ा में दर्ज करवाई गई जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 102/2021 (एक सौ दो बट्टा दो हजार इक्कीस) है। इस प्रकार अप्रार्थी जबरदस्ती प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को मौके से बेदखल करना चाहता है। जबकि वादग्रस्त

L.T.
भूलसिंह

भूमि से अप्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं है। जिस पर अप्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है।

6. यह है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है तथा अपूर्णीय क्षति भी निश्चित तौर पर प्रार्थी को ही हो रही है क्योंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 दखलंदाजी करता रहता है तथा प्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा कर प्रार्थी को मौके से बेदखल करना चाहता है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 ऐसा करने में सफल होता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयों पैसो में नहीं की जा सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 (एक) इस आषय की जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 188 (एक सौ इठयासी) रकबा 3.0999 (तीन दषमलव शून्य नौ नौ नौ) हैक्टेयर व खसरा नम्बर 188/2 (एक सौ इठयासी बट्टा दो) रकबा 2.1044 (दो दषमलव एक शून्य चार चार) हैक्टेयर मौजा ग्राम करनगर नगर, पटवार हल्का निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर में अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

जरिये अधिवक्ता

प्रार्थी